पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 063/2018

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मक्खनसिंह पुत्र श्री हरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. हरजवन्तसिंह पुत्र श्री हरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखराज सिंह पुत्र श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

— :: निर्णय ::— दिनांक :— 07.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बलविन्द्र सिंह के नाम से वाके चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 6 ता 9 का 1.012 हैक्टर, 11 ता 20 का 2.530 हैक्टर कुल 3.542 हैक्टर व प्रार्थी मक्खनसिंह के नाम से इसी चक का मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 1 ता 12 सालम, 13/1 का 0.127 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम से कुल 6.705 हैक्टर रकबा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी संलग्न है।

इसी प्रकार अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी हरजवन्तसिंह पुत्र श्री हरदीपसिंह के नाम से चक नम्बर 16 जैड का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 4 का 1.012 हैक्टर, 5/1 का 0.127 हैक्टर, 6 ता 20 का 3.795 हैक्टर कुल 4.934 हैक्टर रकबा नहरी व अप्रार्थी सुखराजसिंह पुत्र श्री जीतसिंह के नाम से मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 19/.164, 20 ता 25 का 1.518 हैक्टर कुल 1.682 हैक्टर रकबा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 15 व 6 में आनें जानें हेतु पूर्व में मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 में से घरू तौर पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके रकबा में आनें जानें हेतु रास्ता छोड़ा हुआ है मुरब्बा नम्बर 15 व 6 में कृषि कार्य करनें के लिये प्रवेश हेतु कोई रास्ता नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण को अपनें खेत में जाकर कृषि कार्य करनें में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उक्त रकबा में आनें जानें हेतु पूर्व में घरू तौर पर रास्ता मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता छोड़ा हुआ था।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लेकिन दिनांक 29.08.2017 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को अपनें रकबा में से प्रार्थीगण के रकबा में जानें से साफ इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण को रकबा में आनें जानें व काश्त करनें में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त रकबा के अन्य काश्तकार हरजवन्तसिंह व सुखराजसिंह का भी हिस्सा है जिनमें से हरजवन्तसिंह पुत्र श्री हरदीपसिंह के नाम से चक नम्बर 16 जैड का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 4 का 1.012 हैक्टर 5/1 का 0.127 हैक्टार, 6 ता 20 का 3.795 हैक्टर कुल 4.934 हैक्टर रकबा नहरी व अप्रार्थी सुखराजसिंह पुत्र जीतसिंह के नाम से मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 19/.164, 20 ता 25 का 1.518 हैक्टर कुल 1.682 हैक्टर रकबा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर रकबा पूर्व से पश्चिम की तरफ मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

प्रार्थीगण को अपनें रकबा मे आनें जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 मे से गुजरना पड़ता है। जिस कारण हमेशा ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है इसलिये प्रार्थीगण उक्त रकबा में से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर रकबा (पूर्व से पश्चिम की तरफ 1—1 बिस्वा यानि $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा) व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर रकबा (पूर्व से पश्चिम की तरफ 1—1 बिस्वा यानि $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा) इस प्रकार कुल 0.130 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसके लिये निर्धारित मुआवजा अदा करनें के लिये तैयार है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते का रकबा में से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 में स्थित रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न है।

प्रार्थीगण को अपनें रकबा में जानें व कृषि कार्य हेतु रास्ता का आत्यातिक आवश्यक्ता है तथा प्रार्थीगण द्वारा केवल कृषि के सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग की जा रही है। यही रास्ता प्रार्थीगण के रकबा में जानें के लिये सबसे छोटा रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवानें के लिये कई बार कहा गया है मगर पहले तो वह टाल मटोल करते रहे परन्तु अब दिनांक 29.08.2017 को सहमति से रास्ता देनें से साफ इन्कार कर दिया है इसलिये प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर रकबा (पूर्व से पश्चिम की तरफ 1—1 बिस्वा यानि $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा) व मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.013 हैक्टर (1—1 बिस्वा) कुल 0.065 हैक्टर रकबा (पूर्व से पश्चिम की तरफ 1—1 बिस्वा यानि $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा) इस प्रकार कुल 0.130 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करवाया जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है, मुरब्बा नम्बर 5 व 16 में पूर्व में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित मिले दोनों पक्षकार उक्त रास्ता सहमती के अनुसार स्वीकृत करवाना चाहते है।

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत दिनांक 07.06.2018 को ग्राम पंचायत 9 जैड में आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए अप्रार्थीगण द्वारा इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के रकबा चक 16 जैड के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से 0.007–0.007 हैक्टर कुल 0.035 हैक्टर उत्तरी दिशा की और तथा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में से 0.007–0.007 हैक्टर कुल 0.035 हैक्टर दक्षिण दिशा की और रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है अप्रार्थी को उक्त रास्ता के एवज में क्षतिपूर्तिस्वरूप भूमि प्राप्त हो चुकी है।

उभय पक्ष को सुना गया उभयपक्ष नें लोक अदालत की भावना से रास्ता स्वीकृत करवानें में सहमती व्यक्त करनें पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः उभयपक्ष की सहमती के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 16 जैड के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से 0.007–0.007 हैक्टर कुल 0.035 हैक्टर उत्तरी दिशा की और तथा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में से 0.007–0.007 हैक्टर कुल 0.035 हैक्टर दक्षिण दिशा की और रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 07.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 9 जैड़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर